रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2018/श्रावण 12, 1940
No. 294] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940

लोक सभा/राज्य सभा पटल पर रखे जाने वाले कागजात
अधिप्रमाणित

Paper to be laid on the Table of Lok Sabha/Rajya Sabha
Authenticated

डॉ. सत्य पाल सिंह
Dr. SATYA PAL SINGH
राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Ministry of Human Resources Development
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Shastri Bhawan, New Delhi-110001

कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

गांदरबल, 27 जुलाई, 2018

अधिनियम – 3 का संशोधित प्रारूप

अध्ययन स्कूलों को समुदेशित विभाग

सं. सीयूकेएमआर/प्रशा./फा. सं. 595/17/3273.—

अधिप्रमाणित
AUTHENTICATED
नई दिल्ली
NEW DELHI
दिनांक / DATED

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	संशोधन उपरान्त
विद्या स्कूल 1. शिक्षा विभाग 2. शारीरिक शिक्षा विभाग 3. विशेष शिक्षा विभाग 4. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है। **भाषा स्कूल** 1. अंग्रेजी विभाग 2. उर्दू विभाग 3. हिन्दी विभाग 4. कश्मीरी विभाग		**विद्या स्कूल** 1. शिक्षा विभाग 2. शारीरिक शिक्षा विभाग 3. विशेष शिक्षा विभाग 4. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है। **भाषा स्कूल** 1. अंग्रेजी विभाग 2. उर्दू विभाग 3. हिन्दी विभाग 4. कश्मीरी विभाग

5. अरबी विभाग 6. संस्कृत विभाग 7. पंजाबी विभाग 8. भाषाविज्ञान विभाग 9. विदेशी भाषा विभाग 10. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।		5. अरबी विभाग 6. संस्कृत विभाग 7. पंजाबी विभाग 8. भाषाविज्ञान विभाग 9. विदेशी भाषा विभाग 10. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।
सामाजिक विज्ञान स्कूल 1. अर्थशास्त्र विभाग 2. राजनीतिशास्त्र और प्रशासन विभाग 3. इतिहास विभाग 4. सामाजिक कार्य विभाग 5. मानवशास्त्र विभाग 6. बौद्ध अध्ययन विभाग 7. धार्मिक अध्ययन विभाग 8. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।		**सामाजिक विज्ञान स्कूल** 1. अर्थशास्त्र विभाग 2. राजनीतिशास्त्र और प्रशासन विभाग 3. इतिहास विभाग 4. सामाजिक कार्य विभाग 5. मानवशास्त्र विभाग 6. बौद्ध अध्ययन विभाग 7. धार्मिक अध्ययन विभाग 8. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।
भौतिकी तथा रासायनिक विज्ञान स्कूल 1. भौतिकी विभाग 2. रसायन विज्ञान विभाग 3. गणित विभाग 4. नैनोसाइंस विभाग 5. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।		**भौतिकी तथा रासायनिक विज्ञान स्कूल** 1. भौतिकी विभाग 2. रसायन विज्ञान विभाग 3. गणित विभाग 4. नैनोसाइंस विभाग 5. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।
जीवन विज्ञान स्कूल 1. वनस्पति विज्ञान विभाग 2. पशु विज्ञान विभाग 3. जीव प्रौद्यौगिकी विभाग 4. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग 5. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।		**जीवन विज्ञान स्कूल** 1. वनस्पति विज्ञान विभाग 2. पशु विज्ञान विभाग 3. जीव प्रौद्यौगिकी विभाग 4. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग 5. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।
पर्यावरण विज्ञान स्कूल 1. पर्यावरण विज्ञान विभाग 2. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-	निम्न विभागों को अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी स्कूल के तहत जोड़ा जाएगा :	**पर्यावरण विज्ञान स्कूल** **1.** पर्यावरण विज्ञान विभाग **2.** इस प्रकार के अन्य विभाग समय-

IndiaCode

समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।	2. नागरिक अभियांत्रिकी विभाग	समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।
व्यापार अध्ययन स्कूल 1. प्रबंधन अध्ययन विभाग 2. वाणिज्य विभाग 3. पर्यटन अध्ययन विभाग 4. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।	3. इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी विभाग 5. संगणक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग 6. विद्युत अभियांत्रिकी विभाग 7. वास्तु – कला विभाग	**व्यापार अध्ययन स्कूल** 1. प्रबंधन अध्ययन विभाग 2. वाणिज्य विभाग 3. पर्यटन अध्ययन विभाग 4. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।
विधि अध्ययन स्कूल 1. विधि विभाग 2. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।		**विधि अध्ययन स्कूल** 1. विधि विभाग 2. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।
मीडिया अध्ययन स्कूल 1. संसृत पत्रकारिता विभाग 2. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।		**मीडिया अध्ययन स्कूल** 1. संसृत पत्रकारिता विभाग 2. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।
प्रदर्शन कला स्कूल 1. संगीत तथा ललित कला विभाग 2. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।		**प्रदर्शन कला स्कूल** 1. संगीत तथा ललित कला विभाग 2. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।
अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी स्कूल 1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 2. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।		**अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी स्कूल** 1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 2. नागरिक अभियांत्रिकी विभाग 3. इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार अभियांत्रिकी विभाग 4. संगणक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग 5. विद्युत अभियांत्रिकी विभाग 6. वास्तु – कला विभाग 7. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।
चिकित्सा विज्ञान स्कूल 1. औषधि विभाग 2. दंत चिकित्सा विभाग 3. भेषजी विभाग		**चिकित्सा विज्ञान स्कूल** 1. औषधि विभाग 2. दंत चिकित्सा विभाग 3. भेषजी विभाग

IndiaCode

4. भौतिक चिकित्सा विभाग 5. उपचार विभाग 6. मानव अनुवांशिकी विभाग 7. चिकित्सा प्रौद्योगिकी विभाग 8. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।		4. भौतिक चिकित्सा विभाग 5. उपचार विभाग 6. मानव अनुवांशिकी विभाग 7. चिकित्सा प्रौद्योगिकी विभाग 8. इस प्रकार के अन्य विभाग समय-समय पर स्थापित एवं समुदेशित किये जा सकते है ।

क्रम. सं.	अधिनियम	वर्तमान प्रावधान	संशोधन के उपरान्त पढ़ने हेतु
1.	**अधिनियम 21** **परीक्षा का संचालन**	लिपिकार / लेखक 7.1 सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा समय समय पर अथवा अन्यथा प्रदान किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग या नेत्रहीन अथवा स्थायी रूप मे अपने हाथों से लिखने में असक्षम । अभ्यर्थियों को लिपिकार/लेखक रखने की अनुमति दी जा सकती है ।	लिपिकार/लेखक 7.1.1 किसी भी व्यक्ति को जो 40 % अथवा इस से अधिक विकलांग हो, उससे लिपिकार/ पाठक/ प्रयोगशाला सहायक को साथ रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित हों । 7.1.2 परीक्षा के दौरान लिपिकार/ पाठक/ प्रयोगशाला सहायक की सहायता लेने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रति घण्टा 20 मिन्ट का प्रतिपूरक समय उपलब्ध किया जाएगा । 7.1.3 कोई भी व्यक्ति जिस ने लिपिकार रखने की सुविधा का उपयोग नहीं किया हो उसको तीन घण्टे की परीक्षा में न्यूनतम एक घण्टे का प्रतिपूरक समय दिया जाना चाहिए । इस काल अवधि को मामलों की विविधता के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है ।
2.	**अधिनियम 5** **निष्णात उपाधि कार्यक्रम**	8.2 छात्र को अगले सत्र में पदोन्नति एवं पंजीकृत होने के लिए अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह – 1. निरन्तर आंतरिक मूल्यांकन/परियोजना/व्यवहारिक कार्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। 2. सम्बन्धित सत्र में न्यूनतम 50 % पाठ्यक्रमों में उतीर्ण हो । 3. जैसा कि धारा 9.1 में दिया गया है प्रत्येक पाठ्यक्रम/सत्र में आवश्यक उपस्थिति होना अनिर्वाय है । 8.3. उपस्थिति की कमी अथवा जो किसी भी सत्र में 50% से अधिक पाठ्यक्रम में असफल होने के कारण यदि किसी छात्र में सत्र के, अन्त सत्र परीक्षा मैं बैठने के योग्य नहीं पाया जाता तो उसके लिए आनेवाले शैक्षणिक वर्ष में संबंधित सत्र में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा।	8.2 छात्र को अगले सत्र में पदोन्नति एवं पंजीकृत होने के लिए अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह – • निरन्तर आंतरिक मूल्यांकन/परियोजना / व्यवहारिक कार्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। • सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देना के इच्छुक है , उनको सत्र में 50 % पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जाएगी । तथापि सम सत्र में केवल उन छात्रों को अगले विषम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जाएगी जिन्होने पिछले सभी सत्रों में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी । • जैसा कि धारा 9.1 में दिया गया है प्रत्येक पाठ्यक्रम/ सत्र में आवश्यक उपस्थिति होना अनिवार्य है । 8.3 उपस्थिति की कमी अथवा जो किसी भी सत्र के कारण यदि किसी छात्र को सत्र के, अन्त सत्र परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं पाया जाता तो उसके लिए आने वाले शैक्षणिक वर्ष में संबंधित सत्र में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा।
		13.16. यदि कोई छात्र किसी भी सत्र में 50% से आधिक पाठयक्रम में विफल हो जाएगा तो उसे उपयुक्त सत्र में नियमित छात्र की तरह	13.16. सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देने के इच्छुक है , उनको सत्र में 50 % पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी । तथापि सम सत्र में केवल उन

		दाखिला लेना होगा।	छात्रो को अगले विषम सत्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी जिन्होने पिछले सभी सत्रों में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी।
3.	**अधिनियम 20 पाँच वर्षीय बी ए एल एल बी एकीकृत कार्यक्रम**	**धारा 9** क. अगले सत्र में पदोन्नति हेतू एक छात्र को एक सत्र में कम से कम 50% तक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना होगे, इस स्थिति में कि किसी भी समय पर सभी पूर्व सत्रों में 10 से अधिक बैकलॉग न हो। ग. किसी भी सत्र की अंतिम सत्र परीक्षा में यदि किसी छात्र की उपस्थिति में कमी अथवा यदि कोई 50% से अधिक पाठ्यक्रमों में असफ़ल होगा तो उसे अन्त सत्र परीक्षा में बैठने योग्य नहीं समझा जाएगा। तथा उसे आने वाले शैक्षिणिक वर्ष में संबंधित सत्र में नियमित छात्र के रूप में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा।	**धारा 9** क. सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देना के इच्छुक है , उनको सत्र में 50 % पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी। तथापि सम सत्र में केवल उन छात्रो को अगले विषम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी जिन्होने पिछले सभी सत्रो में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी। ग. उपस्थिति की कमी अथवा जो किसी भी सत्र के कारण यदि किसी छात्र को किसी भी सत्र के, अन्त सत्र परीक्षा मैं बैठने की पात्रता ना रहे तो उसे आने वाले शैक्षिणिक वर्ष में संबंधित सत्र में नियमित छात्र के रूप में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा।
4.	**अधिनियम 25** **विधि में निष्णात उपाधि कार्यक्रम**	**धारा 8** 8.2 छात्र को अगले सत्र में पदोन्नति एवं पंजीकृत होने के लिए अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह – 1. निरन्तर आंतरिक मूल्यांकन / परियोजना/शैक्षणिक समुदेशन की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। 2. सम्बन्धित सत्र में न्यूनतम 50 % पाठ्यक्रमों में उतीर्ण हो। 3. जैसा कि धारा 9.1 में दिया गया है प्रत्येक पाठ्यक्रम/सत्र में आवश्यक उपस्थिति होनी चाहिए। 8.3 उपस्थिति की कमी अथवा जो किसी भी सत्र के 50% अथवा उससे अधिक में असफल रहने के कारण यदि किसी छात्र को किसी भी सत्र के, अन्त सत्र परीक्षा मैं बैठन के योग्य नही पाया जाता तो उसके लिए आने वाले शैक्षिणिक वर्ष में संबंधित सत्र में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा।	**धारा 8** छात्र को अगले सत्र में पदोन्नति एवं पंजीकृत होने के लिए अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह – • निरन्तर आंतरिक मूल्यांकन/परियोजना /व्यवहारिक कार्य/ शैक्षणिक समुदेशन की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। • सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देना के इच्छुक है , उनको सत्र में 50 % पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी। तथापि सम सत्र में केवल उन छात्रों को अगले विषम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी जिन्होने पिछले सभी सत्रों में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी। • जैसा कि धारा 9.1 में दिया गया है प्रत्येक पाठ्यक्रम/सत्र में आवश्यक उपस्थिति होनी चाहिए। 8.3 उपस्थिति की कमी अथवा जो किसी भी सत्र के कारण यदि किसी छात्र को किसी भी सत्र के, अन्त सत्र परीक्षा मैं बैठने के योग्य नही पाया जाता तो उसके लिए आने वाले शैक्षिणिक वर्ष में संबंधित सत्र में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा। 13.16 सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देना के इच्छुक है , उनको सत्र में 50 % पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी। तथापि सम सत्र में

IndiaCode

			केवल उन छात्रो को अगले विषम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी जिन्होने पिछले सभी सत्रो में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी ।
5.	**अधिनियम 26** **पाँच वर्षीय एकीकृत बी.ए- एम.ए एवं बी.एस.सी-एम.एस.सी उपाधि कार्यक्रम**	**धारा 8** क. अगले सत्र में पदोन्नति हेतु एक छात्र को सत्र में न्यूनतम 50% तक के पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करना होगा, इस स्थिति में किसी भी समय पर सभी पूर्व सत्रों में 10 से अधिक बैकलॉग न हो । ग.	**धारा 8** **क.** सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देना के इच्छुक है , उनको सत्र में 50% पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी । तथापि सम सत्र में केवल उन छात्रो को अगले विषम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी जिन्होने पिछले सभी सत्रों में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी । **ग.** किसी भी सत्र में उपस्थिति की कमी के कारण यदि किसी छात्र को अन्त सत्र परीक्षा मैं बैठने के योग्य नही पाया जाता उसे आने वाले शैक्षिणिक वर्ष में संबंधित सत्र के नियमित छात्र के रूप में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा।
6.	**अधिनियम 27** **व्यवसाय में स्नातक**	**धारा 8** 8.2 छात्र को अगले सत्र में पदोन्नति एवं पंजीकृत होने के लिए अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह – 1. निरन्तर आंतरिक मूल्यांकन / परियोजना/शैक्षणिक समुदेशन की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। 2. सम्बन्धित सत्र में न्यूनतम 50 % पाठ्यक्रमों में उतीर्ण हो । 3. जैसा कि धारा 9.1 में दिया गया है प्रत्येक पाठ्यक्रम/सत्र में आवश्यक उपस्थिति होनी चाहिए । 8.3 उपस्थिति की कमी अथवा जो किसी भी सत्र के 50% अथवा उससे अधिक में असफल रहने के कारण यदि किसी छात्र को किसी भी सत्र के, अन्त सत्र परीक्षा मैं बैठने के योग्य नही पाया जाता तो उसे आने वाले शैक्षिणिक वर्ष में संबंधित सत्र में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा। 13.20 यदि कोई भी छात्र सत्र में 50% से अधिक पाठ्यक्रम में असफल हो जायेगा तो उससे उपयुक्त सत्र में नियमित छात्र की तरह दाखिला लेना होगा ।	**धारा 8** 8.2 छात्र को अगले सत्र में पदोन्नति एवं पंजीकृत होने के लिए अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह – • निरन्तर आंतरिक मूल्यांकन/परियोजना / व्यवहारिक कार्य/शैक्षणिक समुदेशन की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। • सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देना के इच्छुक है , उनको सत्र में 50 % पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी । तथापि सम सत्र में केवल उन छात्रो को अगले विषम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी जिन्होने पिछले सभी सत्रो में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी । • जैसा कि धारा 9.1 में दिया गया है प्रत्येक पाठ्यक्रम/सत्र में आवश्यक उपस्थिति होनी चाहिए। 8.3 उपस्थिति की कमी अथवा जो किसी भी सत्र के कारण यदि किसी छात्र को किसी भी सत्र के, अन्त सत्र परीक्षा मैं बैठने के योग्य/ पात्र ना रहे तो उसे आने वाले शैक्षिणिक वर्ष में संबंधित सत्र में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा। 13.20. सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देना के इच्छुक है , उनको सत्र में 50 % पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी । तथापि सम सत्र में केवल उन छात्रो को अगले विषम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी जिन्होने पिछले सभी सत्रो में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी ।

7.	**अधिनियम 28** **निष्णात डिप्लोमा कार्यक्रम**	**धारा 8** 8.2 छात्र को अगले सत्र में पदोन्नति एवं पंजीकृत होने के लिए अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह – 1. निरन्तर आंतरिक मूल्यांकन/ परियोजना/शैक्षणिक समुदेशन की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। 2. सम्बन्धित सत्र में न्यूनतम 50 % पाठ्यक्रमों में उतीर्ण हो । 3. जैसा कि धारा 9.1 में दिया गया है प्रत्येक पाठ्यक्रम/सत्र में आवश्यक उपस्थिति होनी चाहिए । 8.3 उपस्थिति की कमी अथवा जो किसी भी सत्र के 50% अथवा उससे अधिक में असफल रहने के कारण यदि किसी छात्र को किसी भी सत्र के, अन्त सत्र परीक्षा मैं बैठने के योग्य नही पाया जाता तो उसके लिए आने वाले शैक्षिणिक वर्ष में संबंधित सत्र में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा। 13.22 यदि कोई भी छात्र सत्र में 50% से अधिक पाठ्यक्रम में असफल हो जायेगा तो उससे उपयुक्त सत्र में नियमित छात्र की तरह दाखिला लेना होगा ।	**धारा 8** 8.2 छात्र को अगले सत्र में पदोन्नति एवं पंजीकृत होने के लिए अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह – • निरन्तर आंतरिक मूल्यांकन/परियोजना/शैक्षणिक समुदेशन की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। • सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देना के इच्छुक है , उनको सत्र में 50 % पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी । तथापि सम सत्र में केवल उन छात्रो को अगले विषम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी जिन्होने पिछले सभी सत्रो में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी । • जैसा कि धारा 9.1 में दिया गया है प्रत्येक पाठ्यक्रम/ सत्र में आवश्यक उपस्थिति होनी चाहिए । 8.3 उपस्थिति की कमी अथवा जो किसी भी सत्र के कारण यदि किसी छात्र को किसी भी सत्र के, अन्त सत्र परीक्षा में बैठने के पात्र नही पाया जाता तो उसे आने वाले शैक्षिणिक वर्ष में संबंधित सत्र में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा। 13.22. सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देना के इच्छुक है , उनको सत्र में 50 % पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी । तथापि सम सत्र में केवल उन छात्रों को अगले विषम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी जिन्होने पिछले सभी सत्रों में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी ।
8.	**अधिनियम 29** **शिक्षक शिक्षा**	**धारा 8** 8.2 छात्र को अगले सत्र में पदोन्नति एवं पंजीकृत होने के लिए अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह – 1. निरन्तर आंतरिक मूल्यांकन / परियोजना/व्यवहारिक कार्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। 2. सम्बन्धित सत्र में न्यूनतम 50 % पाठ्यक्रमों में उतीर्ण हो । 8.3 उपस्थिति की कमी अथवा जो किसी भी सत्र के 50% अथवा उससे अधिक में असफल रहने के कारण यदि किसी छात्र को किसी भी सत्र के, अन्त सत्र परीक्षा मैं बैठने के पात्र	**धारा 8** 8.2 छात्र को अगले सत्र में पदोन्नति एवं पंजीकृत होने के लिए अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह – क. निरन्तर आंतरिक मूल्यांकन/परियोजना/ व्यवहारिक कार्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। ख. सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देना के इच्छुक है , उनको सत्र में 50 % पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी । तथापि सम सत्र में केवल उन छात्रों को अगले विषम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी जिन्होने पिछले सभी सत्रों में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी । 8.3 उपस्थिति की कमी अथवा जो किसी भी सत्र के कारण यदि किसी छात्र को किसी भी सत्र के, अन्त सत्र परीक्षा मैं बैठने के योग्य नहीं पाया जाता तो उसे आने वाले शैक्षिणिक वर्ष में संबंधित सत्र में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>ना रहे तो उसे आने वाले शैक्षिणिक वर्ष में संबंधित सत्र में पुनः दाखिला लेना आवश्यक होगा।
13.16 यदि कोई भी छात्र सत्र में 50% से अधिक पाठ्यक्रम में असफल हो जायेगा तो उससे उपयुक्त सत्र में नियमित छात्र की तरह दाखिला लेना होगा।</td><td>13.16. सभी विद्यार्थी जो अन्त सत्र परीक्षा के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा विषम सत्र में देना के इच्छुक है , उनको सत्र में 50 % पाठ्यक्रम को सफल किये बिना भी सम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी। तथापि सम सत्र में केवल उन छात्रों को अगले विषम सत्र में दाखिला लेने की अनुमति दी जायेगी जिन्होने पिछले सभी सत्रों में से कम से कम 50% पाठ्यक्रमों में सफलता प्राप्त की होगी।</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>अधिनियम 7
विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क</td><td>धारा 7
7.3 यदि शुल्क देने के बाद, एक छात्र अपना प्रवेश रद्द करना चाहे तो, उसे सभी शुल्क और एक महीने के शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त जमा राशि और समस्त प्रवेश शुल्क (1000 रूपये के अधिकतम कटौती के अधीन) वापस मिलने चाहिए। बशर्ते कि उसका / उसकी वापसी का निवेदन कुलसचिव को संबन्धित शैक्षणिक सत्र के आरम्भिक पाँच कार्यरत दिनों तक प्राप्त हुआ हो या प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात 15 दिनों के भीतर।
7.4 यदि छात्र ने देय शुल्क भुगतान के पश्चात भी विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में उसे केवल खेल शुल्क तथा सुरक्षा जमा राशि लौटायी जायेगी बशर्ते कि उसका/उसकी वापसी का निवेदन कुलसचिव को कक्षा कार्य के आरंभ से 30 कार्यरत दिनें के भीतर प्राप्त हुआ हो।</td><td>धारा 7
7.3.1 यदि छात्र अध्ययन के कार्यक्रम जिसमें वह नामांकित है से वापस का विकल्प चुनता है, विश्वविद्यालय निम्नलिखित चार स्तरीय प्रणाली द्वारा छात्र का शुल्क वापस प्रेषित करेगा।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कुल शुल्क की वापसी का प्रतिशत</th><th>विश्वविद्यालय से प्रवेश वापस लेने की सूचना की समयावधि।</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>100 %</td><td>औपचारिक रूप से प्रवेश की अधिसूचित अंतिम तिथि से पहले 15 दिन</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>80 %</td><td>औपचारिक रूप से प्रवेश की अधिसूचित अंतिम तिथि के बाद 15 दिन से अधिक नहीं</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>50 %</td><td>औपचारिक रूप से प्रवेश की अधिसूचित अंतिम तिथि से पहले 15 दिन से अधिक लेकिन 30 दिनों से कम</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>00 %</td><td>औपचारिक रूप से प्रवेश की अधिसूचित अंतिम तिथि से अधिक 30 दिन</td></tr>
</table>
(पाठ्यक्रम शुल्क एवं अध्यापन शुल्क सहित, परन्तु अवधान/जमानत राशि एवं सुरक्षा जमा राशि के बिना)
7.3.2 उपरोक्त तालिका में(1) के मामले में , विश्वविद्यालय वापसी योग्य राशि में से प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 10% से अधिक राशि नही घटा सकता।
7.4 इस संबंध में, लिखित आवंदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर योग्य छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा फीस/शुल्क वापस लौटाया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>अधिनियम 25 विधि में निष्णात कार्यक्रम (एल.एल.एम)</td><td>धारा 13
13.19 प्रशिक्षुता घटक का आकलन संबंधित कक्षा से मिली प्रतिपुष्टि एवं छात्र द्वारा विकसित शिक्षण सामग्री के आधार पर संबंधित शिक्षक द्वारा किया जायेगा। 40 % अंक प्रतिपुष्टि के आधार पर निर्धारित किये जायेगे तथा 60 % अंक शिक्षण सामग्री के आधार पर प्रदान किये जायेगे।</td><td>13.19 हटांया जाएगा।</td></tr>
</table>

प्रो. एम. अफ़ज़ल जरगर, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./171/18]

CENTRAL UNIVERSITY OF KASHMIR

NOTIFICATION

Ganderbal, the 27th July, 2018

DRAFT AMENDMENT TO Ordinance 3

Assignment of the Departments to the Schools of Studies

No. CUKmr/Admin./F. No. 595/17/3272.—

Existing Provision	Proposed Amendment	To read after amendment
School of Education		**School of Education**
1. Department of Education		1. Department of Education
2. Department of Physical Education		2. Department of Physical Education
3. Department of Special Education		3. Department of Special Education
4. Such other Departments as may be established and assigned from time to time		4. Such other Departments as may be established and assigned from time to time
School of Languages		**School of Languages**
1. Department of English		1. Department of English
2. Department of Urdu		2. Department of Urdu
3. Department of Hindi		3. Department of Hindi
4. Department of Kashmiri		4. Department of Kashmiri
5. Department of Arabic		5. Department of Arabic
6. Department of Sanskrit		6. Department of Sanskrit
7. Department of Punjabi		7. Department of Punjabi
8. Department of Linguistics		8. Department of Linguistics
9. Department of Foreign Languages		9. Department of Foreign Languages
10. Such other Departments as may be established and assigned from time to time		10. Such other Departments as may be established and assigned from time to time
School of Social Sciences		**School of Social Sciences**
1. Department of Economics		1. Department of Economics
2. Department of Politics and Governance		2. Department of Politics and Governance
3. Department of History		3. Department of History
4. Department of Social Work		4. Department of Social Work
5. Department of Anthropology		5. Department of Anthropology
6. Department of Buddhist Studies		6. Department of Buddhist Studies
7. Department of Religious Studies		7. Department of Religious Studies
8. Such other Departments as may be established and assigned from time to time		8. Such other Departments as may be established and assigned from time to time
School of Physical & Chemical Sciences		**School of Physical & Chemical Sciences**
1. Department of Physics		1. Department of Physics
2. Department of Chemistry		2. Department of Chemistry
3. Department of Mathematics		3. Department of Mathematics
4. Department of Nanoscience		4. Department of Nanoscience
5. Such other Departments as may be established and assigned from time to time		5. Such other Departments as may be established and assigned from time to time
School of Life Sciences		**School of Life Sciences**
1. Department of Plant Sciences		1. Department of Plant Sciences
2. Department of Animal Sciences		2. Department of Animal Sciences
3. Department of Biotechnology		3. Department of Biotechnology

IndiaCode

4. Department of Microbiology 5. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Environmental Sciences** 1. Department of Environmental Sciences 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Business Studies** 1. Department of Management Studies 2. Department of Commerce 3. Department of Tourism Studies 4. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Legal Studies** 1. Department of Law 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Media Studies** 1. Department of Convergent Journalism 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Performing Arts** 1. Department of Music and Fine Arts 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Engineering & Technology** 3. Department of Information Technology 4. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Medical Sciences** 1. Department of Medicine 2. Department of Dentistry 3. Department of Pharmacy 4. Department of Physiotherapy 5. Department of Nursing	To add following departments under School of Engineering & Technology: 2. Department of Civil Engineering 3. Department of Electronics and Communication Engineering 4. Department of Computer Science and Engineering 5. Department of Electrical Engineering **6.** Department of Architecture	4. Department of Microbiology 5. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Environmental Sciences** 1. Department of Environmental Sciences 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Business Studies** 1. Department of Management Studies 2. Department of Commerce 3. Department of Tourism Studies 4. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Legal Studies** 1. Department of Law 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Media Studies** 1. Department of Convergent Journalism 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Performing Arts** 1. Department of Music and Fine Arts 2. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Engineering & Technology** 1. Department of Information Technology 2. Department of Civil Engineering 3. Department of Electronics and Communication Engineering 4. Department of Computer Science and Engineering 5. Department of Electrical Engineering 6. Department of Architecture 7. Such other Departments as may be established and assigned from time to time **School of Medical Sciences** 1. Department of Medicine 2. Department of Dentistry 3. Department of Pharmacy 4. Department of Physiotherapy 5. Department of Nursing

IndiaCode

6. Department of Human Genetics 7. Department of Medical Technology 8. Such other Departments as may be established and assigned from time to time		6. Department of Human Genetics 7. Department of Medical Technology 8. Such other Departments as may be established and assigned from time to time

S. No.	Ordinance	Existing provisions	To be read after amendment
1	**Ordinance 21** **Conduct of Examinations**	AMANUENSIS/SCRIBE 7.1 An amanuensis shall be allowed in the case of physically handicapped candidates who are either blind or permanently disabled from writing with their own hands as per the guidelines issued by Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India issued from time to time or unless provided otherwise.	AMANUENSIS/SCRIBE 7.1.1 The facility of Scribe/Reader/Lab Assistant should be allowed to any person with 40% or more disability, if desired by the candidate. 7.1.2 The Compensatory Time is to be provided not less than 20 minutes per hour of examination for persons making use of Scribe/Reader/Lab Assistant. 7.1.3 Any person with disability not availing the facility of scribe may be allowed compensatory time of minimum one hour for examination of 3 hours duration which could be further increased on case to case basis.
2	**Ordinance 5 Masters Degree Programme**	8.2. A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided he/she: • Fulfils the requirements of continuous internal assessment/project / practical work • Passes at least 50% of courses in the semester concerned • Puts in required attendance in each course/semester as provided in clause 9.1	8.2. A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided he/she: • Fulfils the requirements of continuous internal assessment / project / practical work • The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters. • Puts in required attendance in each course/semester as provided in clause 9.1
		8.3. A student found not eligible to appear in the End-Semester Examination of a Semester of the programme due to shortage of attendance **or** those who fail in more than 50% of the prescribed courses in any Semester shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year.	8.3 A student found not eligible to appear in the End-Semester Examination of a Semester of the programme due to shortage of attendance shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following year.

		13.16 Students failing in more than 50% of the courses in a semester shall have to seek readmission in the appropriate semester as a regular student.	13.16 The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters.
3	**Ordinance 20** **Five Year Integrated B.A. LLB Degree Course**	Clause 9 (a) A student shall have to pass at least 50% of the courses in a semester for being eligible for promotion to the next semester subject to the condition that at any time the total backlogs for all the previous semesters does not exceed 10. C) A student found not eligible to appear in the End- Semester examination of a Semester of the programme due to shortage of attendance or those who fail in more than 50% of the prescribed courses in any Semester shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year as a regular student.	Clause 9 a) The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters. C) A student found not eligible to appear in the End-Semester examination of a Semester of the programme due to shortage of attendance shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year as a regular student.
4	**Ordinance 25** **Master Degree Programme in Law (LL.M)**	Clause 8 8.2 A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided he/she: • Fulfils the requirements of continuous internal assessment/project/ teaching assignment • Passes at least 50% of courses in the semester concerned • Puts in required attendance in each course/semester as provided in clause 9.1 8.3 A student found not eligible to appear in the	Clause 8 8.2 A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided he/she: • Fulfils the requirements of continuous internal assessment / project / practical work/ teaching assignment • The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters. • Puts in required attendance in each course/semester as provided in clause 9.1 8.3 A student found not eligible to appear in the End-Semester Examination of a Semester of the Programme

		End- Semester Examination of a Semester of the Programme due to shortage of attendance or those who fail in more than 50%* of the prescribed courses in any Semester shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year.	due to shortage of attendance shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year.
		13.16 Students failing in more than 50% of the courses in a semester shall have to seek readmission in the appropriate semester as a regular student	13.16 The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters.
5	**Ordinance 26** **Five Year Integrated B.A-M.A. & B.Sc-MSc Degree Programme**	Clause 8 (a) A student shall have to pass at least 50% of the courses in a semester for being eligible for promotion to the next semester subject to the condition that at any time the total backlogs for all the previous semesters does not exceed 10. (c) A student found not eligible to appear in the End-Semester examination of a Semester of the programme due to shortage of attendance or those who fail in more than 50% of the prescribed courses in any Semester shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year as a regular student.	Clause 8 a) The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters. c) A student found not eligible to appear in the End-Semester examination of a Semester of the programme due to shortage of attendance shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year as a regular student.
6	**Ordinance 27** **Bachelor of Vocation (B. Voc.)**	Clause 8 8.2 A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided he/she:	Clause 8 8.2 A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided he/she:

		• Fulfils the requirements of continuous internal assessment/project/ teaching assignment • Passes at least 50% of courses in the semester concerned • Puts in required attendance in each course/semester as provided in clause 9.1	• Fulfils the requirements of continuous internal assessment / project / practical work/ teaching assignment • The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters. • Puts in required attendance in each course/ semester as provided in clause 9.1.
		8.3 A student found not eligible to appear in the End-Semester Examination of a Semester of the Programme due to shortage of attendance or those who fail in more than 50%* of the prescribed courses in any Semester shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year.	8.3 A student found not eligible to appear in the End-Semester Examination of a Semester of the Programme due to shortage of attendance shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year.
		13.20 Students failing in more than 50% of the courses in a semester shall have to seek readmission in the appropriate semester as a regular student.	13.20 The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters.
7	**Ordinance 28** **Post Graduate Diploma Programme**	Clause 8 8.2 A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided he/she: • Fulfils the requirements of continuous internal assessment/project/ practical work • Passes at least 50% of courses in the semester concerned • Puts in required attendance in each course/semester as provided in clause 9.1	Clause 8 8.2 A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided he/she: • Fulfils the requirements of continuous internal assessment / project / practical work • The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters. • Puts in required attendance in each course/ semester as provided in clause 9.1
		8.3. A student found not eligible to appear in the End- Semester Examination of a Semester	8.3. A student found not eligible to appear in the End-Semester Examination of a Semester of the Programme due to shortage of attendance shall be required to repeat and take readmission in respective

IndiaCode

		of the programme due to shortage of attendance or those who fail in more than 50% of the prescribed courses in any Semester shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year*. 13.22 Students failing in more than 50% of the courses in a semester shall have to seek readmission in the appropriate semester as a regular student.	semester of the programme in the following academic year. 13.22 The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters.
8	**Ordinance 29** **Teacher Education Programmes**	Clause 8 8.2 A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided him/her: a. Fulfils the requirements of continuous internal assessment/ project/ practical work. b. Passes at least 50% of courses in the semester concerned. 8.3 A student found not eligible to appear in the End- Semester Examination of a Semester of the programme due to shortage of attendance or those who fail in more than 50% of the prescribed courses in any Semester shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year. 13.16 Students failing in more than 50% of the courses in a semester shall have to seek readmission in the appropriate semester as a regular student.	Clause 8 8.2 A student shall be promoted and permitted to get registered in the next semester provided him/her: a. Fulfils the requirements of continuous internal assessment/project/practical work. b. The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters. 8.3 A student found not eligible to appear in the End-Semester Examination of a Semester of the Programme due to shortage of attendance shall be required to repeat and take readmission in respective semester of the programme in the following academic year. 13.16 The student/s appearing in all the courses in End Semester Examination in odd semesters shall be allowed to take admission in the even semesters without emphasizing on qualifying 50% of courses in a semester. However, only those students of even semesters shall be allowed to take admission to next odd semester who have qualified atleast 50% courses of all previous semesters.

Indi Code

<table>
<tr>
<td>9</td>
<td>Ordinance 7

Fees Payable by the Students of the University</td>
<td>Clause 7

8.3 If, after having paid the fees, a candidate desires his/her admission to be cancelled, he/she shall be refunded all fees and deposits except Tuition fee of one month and Admission Fee in full (subject to a maximum deduction of Rs.1000/-), provided his/her application for withdrawal is received by the Registrar not later than five clear days after the commencement of the academic session concerned or within fifteen clear days after the completion of admission whichever is later.

8.4 If, after having paid his/her fees a candidate does not join the University, only the Sports Fee and Security Deposit shall be refunded to him/her, provided his/her application for withdrawal is received by the Registrar not later than 30 clear days after the commencement of the class work.**</td>
<td>Clause 7

7.3.1 If a student chooses to withdraw from the program of study in which he/she is enrolled, the University shall follow the following four-tier system for the refund of fees remitted by the student.
<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Percentage of Refund of Aggregate fees*</th><th>Point of time when notice of withdrawal of admission is served to University</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>100%</td><td>15 days before the formally-notified last date of admission</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>80%</td><td>Not more than 15 days after the formally-notified last date of admission</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>50%</td><td>More than 15 days but less than 30 days after formally-notified last date of admission</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>00%</td><td>More than 30 days after formally notified last date of admission</td></tr>
</table>
*(Inclusive of course fees and non-tuition fees but exclusive of caution money and security deposit)

7.3.2 In case of (1) in the table above, the University shall deduct an amount not more than 10% of the aggregate fees as processing charges from the refundable amount.

7.4 Fees shall be refunded by the University to an eligible student within fifteen days from the date of receiving a written application from him/her in this regard.</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ordinance 25

Master Degree Programme in Law (LL.M)</td>
<td>Clause 13

13.19 Internship component will be assessed by the teacher concerned on the basis of feedback he receives from the concerned class and the teaching material developed by the students. 40% marks will be allocated to the feedback and 60% marks will be awarded on the basis of teaching material.</td>
<td>

13.19 To be deleted</td>
</tr>
</table>

Prof. M. AFZAL ZARGAR, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./171/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.08.03 22:44:54 +05'30'